निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 4/2025
दायरा दिनांकः—11.06.2025
निर्णय दिनांकः— 15.09.2025

उनवान

1. भरोसी आयु 60 साल पुत्री मांग्या पत्नि रामदयाल जाति कबाडी (चमार) निवासी ग्राम हफीजपुरा हाल मुकाम कोटडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

2. रामसिंह आयु 64 साल पुत्र श्योनारायण जाति कबाडी (चमार) निवासी ग्राम हफीजपुरा हाल मुकाम भगवानपुरा (बंजारी) तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. रामगोपाल आयु 62 साल पुत्र श्योनारायण जाति कबाडी (चमार) निवासी ग्राम हफीजपुरा हाल मुकाम भगवानपुरा (बंजारी) तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. धन्नालाल आयु 56 साल श्योनारायण जाति कबाडी (चमार) निवासी ग्राम हफीजपुरा हाल मुकाम भगवानपुरा (बंजारी) तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. भंवरलाल आयु 58 साल श्योनारायण जाति कबाडी (चमार) निवासी ग्राम हफीजपुरा हाल मुकाम भगवानपुरा (बंजारी) तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. कमला आयु 66 साल पुत्री श्योलाल पत्नि बाबूलाल जाति कबाडी (चमार) निवासी ग्राम हफीजपुरा हाल मुकाम रटावद तहसील बारां जिला बारां (राज0)
7. बसन्ती आयु 60 साल पुत्री श्योनारायण पत्नि बुजमोहन जाति कबाडी (चमार) निवासी ग्राम हफीजपुरा हाल मुकाम भगवानपुरा (बंजारी) तहसील छबडा जिला बारां
8. सुरेश आयु 54 साल पुत्री श्योनारायण पत्नि कस्तुरा जाति कबाडी (चमार) निवासी ग्राम हफीजपुरा हाल मुकाम बाबा रामदेव मन्दिर के पास कबाडी मोहल्ला छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. धप्पो बाई पत्नि रामकरण जाति मीनां तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पचपाडा पंचायत समिति छबडा जिला बारां (राज0)
10. सरपंच ग्राम पंचायत पचपाडा पंचायत समिति छबडा जिला बारां (राज0)
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

अपील नामान्तरण नम्बर 244 दिनांक 13/06/2018 ग्राम हफीजपुरा
अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांकः— 15.09.2025

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री सोमेश कुमार गालव – प्रार्थी (प्रतिवादी)
2. श्री सुरेन्द्र कुमार भार्गव – अप्रार्थी (वादी)

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

वाके माल हफीजपुरा तहसील छबड़ा जमाबन्दी सम्वत 2069 से 72 मे खाता संख्या 48 में भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 120 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, कुल किता 3 तादादी 16 बीघा 06 बिस्वा, भूमि अपीलान्ट के पिता मांग्या एंव श्योनारायण पिता भोला जाति कबाड़ी (चमार) सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073–2076 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी मे खाता संख्या 44 मे खसरा नम्बर 119 रकबा 0.2403 हैक्टयर खसरा नम्बर 120 रकबा 2.7187 हैक्टयर खसरा नम्बर 130 रकबा 1.1633 हैक्टयर, कुल किता 3 कुल रकबा 4.1223 हैक्टयर भूमि स्थित है। अपीलान्ट के पिता मांग्या एंव काका श्योनारायण पिता भोला पूर्व मे ग्राम हफीजपुरा तहसील छबड़ा में रहते थे बाद मे ग्राम भगवानपुरा (बंजारी) तहसील छबड़ा में आकर रहने लगे फिर बाद में अपीलान्ट के पिता मांग्या ग्राम किशोरपुरा आकर रहने लगे एंव किशोरपुरा की कृषि आराजी करने लगे। अपीलान्ट के पिता मांग्या की मृत्यु दिनांक 10/08/2008 को एंव माता सुन्दर की मृत्यु दिनांक 11/05/2020 को हो गई है। जिसके पश्चात मांग्या की इकलोती वारिस अपीलान्ट ही है। रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 7 की मां पाना बेवा श्योनारायण फोत हो जाने के कारण अपील मे पक्षकार नही बनाई गई है। रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 7 ने मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजी मे राजस्व कर्मचारियो से झुठ बोलकर तथ्य छुपाते हुऐ राजस्व केम्प पचपाड़ा में अपीलान्ट के पिता मांग्या को लाऔलाद बतलाकर उक्त आराजी पर नामान्तरकरण नम्बर 244 दिनांक 13/06/2018 अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त आराजी में अपने नाम दर्ज करवा लिए जो वर्तमान मे दर्ज रिकार्ड है। राजस्व शिविर में रेस्पो० कम 1 ता 7 ने रेस्पो० कम 8 से भी झूठ बोलकर, अपीलान्ट के पिता मांग्या के वारिस छुपाकर लाऔलाद बताकर मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे अपने नाम नामान्तरण स्वीकार करवा लिया। 8. रेस्पो० कम 1 ता 7 के द्वारा मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी को बेचान करने की प्लानिंग बनाई तब अपीलान्ट के रिश्तेदारो ने अपीलान्ट को बताया तब अपीलान्ट तहसील छबड़ा मे आई एंव अपीलान्ट ने मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी की पुरानी नकले निकलवाई जो दिनांक 05/06/2025 को प्राप्त हुई तब अपीलान्ट को पता चला कि उक्त आराजी पर अपीलान्ट के पिता मांग्या का फौती नातान्तरकरण नम्बर 244 से रेस्पो० कम 1 ता 7 एंव उनकी मां पाना बेवा श्योनारायण का नाम दर्ज हो गया है। यह तारीख अपील का कारण मुखास्मत करार दी जाती है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर्ड कर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 3 ता 7 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार भार्गव एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ। रेस्पोडेन्ट 2,9 स्वंय उपस्थित रेस्पोडेन्ट क्रम 8 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2065–68 नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 48 नकल नामान्तरण संख्या 244 दिनांक 13.06.2018 ग्राम हफीजपुरा नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 44 पंचायत नामा ग्राम वासियान ग्राम हफीजपुरा पंचायत ग्राम बंजारी (भगवानपुरा) नकल नामान्तरण संख्या 392 दिनांक 06.10.2021 ग्राम किशोरपुरा मृत्यु प्रमाण पत्र मांग्या दिनांक 15.07.2017 जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। विवादित आराजी वाके ग्राम हफीजपुरा तहसील छबडा में स्थित है जो अपीलान्ट के पिता मांग्या एवं श्योनारायण पिता भोला कबाडी (चमार) के नाम दर्ज है। अपीलान्ट के पिता मांग्या एवं काका श्योनारायण पुत्र भोला पूर्व में ग्राम हफीजपुरा तहसील छबडा में रहतें थे बाद में ग्राम भगवानपुरा (बंजारी) तहसील छबडा मं आकर रहले लगे बाद में अपीलान्ट के पिता मांग्या किशोरपुरा आकर रहने लगें। अपीलान्ट के पिता मांग्या की मृत्यु दिनांक 10.08.2008 को एवं माता सुन्दर की मृत्यु दिनांक 11.05.2020 को हो गई है मांग्या की इकलौती वारिस अपीलान्ट है रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 7 की मां पाना बेवा श्योनारायण फोत हो जाने के कारण अपील में पक्षकार नही बनाया है राजस्व केम्प में मृतक मांग्या को लाऔलाद फोत होना बताकर उक्त आराजी का नामान्तरण संख्या 244 को खारिज कराने की अधिकारी है अपीलान्ट मृतक मांग्या की एक मात्र वारिस एवं का0 मु0 है अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 244 खारिज फरमाया जाकर अपीलान्ट के नाम 1/2 हिस्से का नामान्तरण दर्ज करने के आदेश फरमावें।

बहस के दौरान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट कभी कब्जा नही रहा है विवादित भोला के खातेदारी में थी। भोला के मरने के बाद मांग्या व श्योनारायण के खाते दर्ज हुई। मांग्या के एक पुत्री भरोसी थी जिसकी शादी कर दी गई वह अपनी ससुराल मे रहती है मांग्या की मृत्यु के बाद श्योनारायण के वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरण की अपील नही की 6 साल बाद अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की है जो मियाद बाहर है अपीलान्ट का भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा और ना ही कभी फसल काश्त की है अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट देरी को कंडोन करने का पेश किया गया है जिसे स्वीकार किया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2065–68 खाता संख्या 52 में मांग्या, श्योनारायण पुत्र भोला जाति कबाडी (चमार) सा0देह दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2069–72 खाता संख्या में मांग्या, श्योनारायण पुत्र भोला का नाम बतौर खातेदार दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 13 में नामान्तरण संख्या 208 दिनांक 26.09.2014 से मृतक श्योनारायण के स्थान पर रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज होने का नोट अंकित है नामान्तरण संख्या 244 दिनांक 13.06.2018 से मृतक मांग्या के स्थान पर रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज होने का नोट अंकित है। नक़ल नामान्तरण संख्या 244 दिनांक 13.06.2018 से मृतक मांग्या का फोती नामान्तरण रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किय़ा गया। वर्तमान में विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज है चूंकि मांग्या की एक मात्र वारिस एवं कायम मुकामान अपीलान्ट भरोसी है। एवं इस तथ्य का अप्रार्थीगण द्वारा खंडन नही किया गया है इसलिए प्रार्थीया के कथन पर अविश्वास करने का कारण नही है अर्थात् मांग्या के हिस्से की भूमि अपीलान्ट अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। नामान्तरण संख्या 244 दिनांक 13.06.2018 जो रेस्पोडेन्ट के नाम खोला गया है वह विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि मांग्या की पुत्री भरोसी मौजूद है। एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के तहत प्रार्थीगण को पैतृक सम्पत्ति

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जन्म से अधिकार है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 244 दिनांक 13.06.2018 खारिज कर प्रकरण तहसीलदार छबडा को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है। नामान्तरण संख्या 244 दिनांक 13.06.2018 ग्राम हफीजपुरा खारिज किया जाता है। तहसीलदार छबडा को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक मांग्या पुत्र भोला के जायज वारिसान की जॉच कर पुनः नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक किया जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)